न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 14/2025 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2012/00017), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

गोपाल सिंह पुत्र छिद्दा सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जनूथर तहसील जनूथर जिला डीग

–वादी

बनाम

1. मान सिंह पुत्र चिरंजी
2. ओमप्रकाश
3. बनैं सिंह
4. प्रताप
5. मुकेश

(2–5) पुत्रगण थान सिंह

6. चरन सिंह पुत्र रामस्वरूप – मृतक

6/1. हीरा
6/2. प्रभू
6/3. राजेन्द्र

(6/1–6/3) पुत्रगण स्व0 चरन सिंह

6/4. मछला
6/5. बरफी

(6/4–6/5) पुत्रियां स्व0 श्री चरन सिंह

7. लालचन्द
8. भीम सिंह
9. विजय सिंह

(7–9) पुत्रगण रामस्वरूप

(1–9) जातियान जाट नि0 ग्राम जनूथर तहसील जनूथर(डीग)

–असल प्रति0

10. अभय सिंह पुत्र बग्गा सिंह
11. चूरामन
12. सोनपाल

(11–12) पुत्रगण खरग सिंह पुत्र बग्गा सिंह

13. प्रताप सिंह
14. दरब सिंह
15. राजेन्द्र

(13–15) पुत्रगण अखैसिंह पुत्र बग्गा सिंह

16. कमल
17. होती
18. चेतन
19. लक्ष्मन

(16–19) पुत्रगण मनहोरी पुत्र गिर्राज

20. नन्नू पुत्र बाबू –मृतक

20/1. महेश
20/2. महावीर

(20/1–20/2) पुत्रगण नन्नू सिंह

20/3. सतीजा पुत्री स्व0 नन्नू
20/4. प्रकाशी पत्नी स्व0 नन्नू

(10–20/4) जातियान जाट नि0 जनूथर तह0 जनूथर

21. बच्चू पुत्र बाबू पुत्र गिर्राज
22. पंजाब नैशनल बैंक शाखा जनूथर जरिये शाखा प्रबंधक,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

—तरतीवी प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88—89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांक:24.03.2025**

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1916/0.24, 1917/0.23,1918/0.24, वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। नवीन आराजी खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 को हाल बन्दोवस्त में साविक आराजी ख्सरा नम्बर 235 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम जनूथर के बदले में बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 235 वादी तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 11लगायत 15 के बाबा तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 10 के पिता बग्गा सिंह पुत्र रामलाल तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 के बाबा गिर्राज पुत्र रामलाल तथा असल प्रति0 सं. 06 लगायत 9 के पिता रामस्वरूप पुत्र ग्यासी के वाहिस्सा बरावर कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। प्रति0 असल संख्या 6 लगायत 9 के पिता रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है जिसकी मृत्यु के बाद से उक्त साविक नम्बर 235 के हिस्सा 1/3 पर प्रति0 असल संख्या 6 लगायत 9 का कब्जा वाहिस्सा बरावर चला आ रहा है तथा वादी तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 के बाबा तथा पिता बग्गा सिंह पुत्र रामलाल व तरतीवी प्रति0 सं. 16 लगायत 21 के बाबा गिर्राज पुत्र रामलाल की भी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद से उक्त साविक नम्बर के हिस्सा 1/3 पर अभय सिंह तरतीवी प्रति0 संख्या 10 तथा वादी के पिता छिद्दा तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 11 व 12 के पिता खरग सिंह तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 के पिता अखैसिंह पुत्र बग्गा सिंह काबिज हुए तथा हिस्सा 1/3 पर मनोहरी व बाबू पि0 गिर्राज काबिज हुए,वादी के पिता छिद्दा सिंह तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 11 व 12 के पिता खरग सिंह तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 के पिता अखैसिंह की भी मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद से उक्त साविक नम्बर 235 के हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/4 पर वादी का तथा हिस्सा 1/4 पर तरतीवी प्रति0 संख्या 10 का तथा हिस्सा 1/4 पर तरतीवी प्रति. संख्या 11 व 12 का तथा हिस्सा 1/4 पर तरतीवी प्रति0 संख्या 13लगायत 15 का कब्जा चला आ रहा है तथा असल प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 का उक्त साबिक नम्बर के हिस्सा 1/3 पर कब्जा चला आ रहा है तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 19 के पिता मनोहरी व तरतीवी प्रति0 संख्या 20व 21 के पिता बाबू सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद से साविक नम्बर 235 के हिस्सा 1/3 पर तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 का कब्जा चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी है। बन्दोवस्त हाल में साविक खसरा नम्बर 235/3—5 के बदले में बनाया गया है और केवल साविक नम्बर 235 की आराजी ही नवीन विवादित नम्बरान में है और अन्य किसी साविक नम्बर की भूमि नवीन विवादित नम्बरान 1916, 1918,1917 में नहीं है लेकिन गलत तरीके पर बन्दोवस्त हाल में विवादित नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल गलत बताते हुए साविक नम्बर 235 के अलावा साविक नम्बर 236 को भी मिलान क्षेत्रफल में दर्शा दिया है जोकि गलत है क्योंकि साविक नम्बर 236 की भूमि नवीन विवादित नम्बरान में शामिल नहीं है बल्कि साविक नम्बर 236 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा से नवीन नम्बर 1920/0.30 बनाया गया है जोकि नक्सा अक्स साविक व हाल से ही विवादित नम्बरान को कायम किया गया है। इसके अलाबा बन्दोवस्त हाल में नवीन विवादित नम्बरान 1916, 1917, 1918 का इन्द्राज काश्त भी राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया है। मुताविक साविक बन्दोवस्त हाल में विवादित नम्बरान के केवल 1/3 हिस्से पर असल प्रति0 संख्सा 6 लगायत 9 का इन्द्राज दर्ज होना चाहिए था तथा 1/3 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

इन्द्राज तरतीवी प्रति. संख्या 16लगायत 21 के नाम दर्ज आना चाहिए था तथा 1/3 हिस्से का इन्द्राज वादी तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 के नाम अंकित आना चाहिए था लेकिन गलत तरीके पर विवादित नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रति0 असल संख्या 01 लगायत 9 के नाम गलत दर्ज कर दिया है क्योकि प्रति. स. 1 मान सिंह व प्रति. संख्या 2 लगायत 5 के पिता थान सिंह का कोई सम्बन्ध साविक नम्बर 235 से नहीं था और ना ही प्रति. संख्या 1 मान सिंह व प्रति. संख्या 2 लगायत 5 के पिता थान सिंह पुत्र चिरंजी के नाम कोई इन्द्राज साविक नम्बर 235 पर था और प्रति0 संख्या 01 लगायत 5 के साविक नम्बर 236 से दीगर नवीन नम्बर 1920 बनाया गया है औ उनके नाम है और कोई कमी नही है तथा असल प्रति0 सं. 6 लगायत 9 के नाम केवल 1/3 हिस्से का ही इन्द्राज करना चाहिए था क्योकि साविक नम्बर 235 में प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 के पिता के नाम केवल 1/3 हिस्सा ही दर्ज था तथा 1/3 हिस्सा का इन्द्राज मुताविक साविक वादी तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 के नाम दर्ज करना चाहिए था तथा 1/3 हिस्से का इन्द्राज तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 के नाम दर्ज करना चाहिए था। मुताविक साविक नम्बर विवादित नम्बरान के हिस्सा 1/3 पर वादी तथा तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 का तथा 1/3 हिस्से पर तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 का तथा केवल 1/3 हिस्से पर असल प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी मौके पर है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 1916/0. 24, 1917/0.23, 1918/0.24 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर के हि0 1/3 के हि0 1/4 का वादी तथा हि0 1/4 का तरतीवी संख्या 10, तथा हि0 1/4 का तरतीवी प्रति0 11 व 12 तथा हि0 1/4 के तरतीवी प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 वाहिस्सा बरावर तथा उक्त विवादित नम्बरान के हि0 1/3 के तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 व केवल 1/3 हिस्से के असल प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाकर प्रति0 संख्या 01 लगायत 09 के नाम चल रहे इन्दाजात को कलमजन किये जाने तथा प्रति0 संख्या 01 लगायत 09 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.06.2012 को तर0 प्रति. संख्या 16 से 21 व प्रति0 संख्या 6 से 9 तथा 01 व 04 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आये। दिनांक 04. 09.2012 को प्रति0 संख्या 10,11 व 12 की ओर से इकबाल दावा तथा दिनांक 30.10.2012 को प्रति. संख्या 13,14 व 15 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। दिनांक 03.05.2013 को प्रति. संख्या 14,17 की ओर से व प्रति0 सं. 2,3,5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 18.02.2016 को तनकी पर्चा पेश होकर कायम किया गया। दिनांक 09.12.2016 को पीडब्ल्यू–1,वादी गोपाल के बयान पंजीबद्व किये गये। दिनांक 14. 12.2017 को साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रति0 साक्ष्य में प्रति0 की ओर से शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 23.01.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जा.दी.पेश किया गया। दिनांक 27.02.2018 को प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 ने प्रा0 पत्र का जबाव पेश किया गया। दिनांक 21.11.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जा.दी. को 500/–रूपये कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। वकील प्रति0 ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। दिनांक 06.05.2022 को साक्ष्य प्रति0 बन्द की गई। दिनांक 21.10.2024 को प्रति0 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दावे को वास्ते बहस नियत किया गया। दिनांक 26.11.2024 को दावे पर बहस वकील वादी सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व वकील वादी की बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादीगण ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1916/0.24, 1917/0.23, 1918/0.24 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। सबूत में जमाबन्दी 2065 से 2068 है। इसका साबिक खसरा नम्बर 235 रकबा 3 वीघा 5 विस्वा का है। साविक खसरा नम्बर में 1/3 हिस्सा बजरंग सिंह का था 1/3 हिस्सा गिर्राज, 1/3 हिस्सा रामस्वरूप का था। पुराने साविक खसरा नम्बर में तीन सहहिस्सेदार थे,भू–प्रबंध विभाग ने हमारे इन तीन नम्बरों को 235 के अलावा खसरा नम्बर 236 से भी बनना दिखा दिया। खसरा नम्बर 236 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा का था। भू–प्रबंध विभाग ने प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 के नाम करदी। 1 लगायत 9 में जो 6 लगायत 9 है उनका तो 1/3 हिस्सा बनता है। पुराने खसरा नम्बर 236 को भी शामिल कर दिया। प्रति0 संख्या 1 लगायत 5 को भी खातेदार दर्ज कर दिया। असल प्रति0 संख्या 1 लगायत 5 का जो पुराना खसरा नम्बर 236 है से हाल खसरा नम्बर 1920 रकबा 30 ऐअर का बना है। वादीगण और प्रतिवादीगण हि0 2/3 बनता है। इसका मैने पुराना रिकार्ड पेश किया है। खसरा नम्बर 1920 की जमाबन्दी भी पेश की है। प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश किया है। तनकीयात कायम की गई है तथा बाद में सबके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। हमारा ही कब्जा है। दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व फरमाया जावे।

हमने वादीगण के वादपत्र,प्रतिवादीगण संख्या 10,11,12,13,14,15 के इकबलाल दावे, प्रति0 संख्या 1 व 4 व 6 लगायत 9 के जबाव दावे,पीडब्ल्यू–1, गोपाल सिंह की साक्ष्य जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 हाल खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 प्रदर्श–1 जिसमें उक्त खसरा नम्बर प्रति0 संख्या 6, 7, 8, 9, 1 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श–2, नकल नक्शा किश्तवार हाल खसरा नम्बर प्रदर्श–3, नक्शा किश्तवार साविक खसरा नम्बर 235, 236 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2024 साविक खसरा नम्बर 235 जिसमें रामस्वरूप पुत्र ग्यासी,बजरंग व गिर्राज पिस0 रामलाल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी सम्बत 2028 से 2032, खसरा नम्बर 235 रकबा 3 वीघा 5 विस्वा किस्म कदीम,रामस्वरूप वगै0 के नाम है व खसरा नम्बर 236 रकबा 1 वीघा 17 विस्वा किस्म जाब मान सिंह,थान सिंह पिस0 चिरोंजी संभाग खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–6, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

<u>तनकी संख्याः–1</u>,आया वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 विवादित खसरा नम्बरान 1916/0.24, 1917/0.23, 1918/0.24 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर पर मुताविक वादपत्र की मद संख्या 11(अ) अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 1 को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने खसरा नम्बरान 1916/0.24, 1917/0.23, 1918/0.24 के हि0 1/3 के हि0 1/4 का वादीगण तथा हि0 1/4 का तरतीवी प्रति0 संख्या 10 तथा हि0 1/4 तरतीवी प्रति0 संख्या 11 व 12 तथा हि0 1/4 के तरतीवी प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 वाहिस्सा बरावर तथा विवादित खसरा नम्बरान के हि0 1/3 के तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 व केवल 1/3 हिस्से के असल प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 खातेदार काश्तकार है। जबकि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज काश्त वहक असल प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 को दर्ज किया जा रहा है जो कतई गलत है,खिलाफ कानून है तथा वातिल एवं वेअसर करार दिया जाकर कलमजन किया जावे एवं दादरसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने प्रदर्श–1 पर जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 का अवलोकन किया। खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 वाके ग्राम जनूथर के असल प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–2, भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार खसरा नम्बर 1916 रकबा 0.24 साविक खसरा नम्बर 235मिन रकबा 3 वीघा 5 बिस्वा, 236मिन, 1917 रकबा 0.23 साविक खसरा नम्बर 235मिन रकबा 3 वीघा 5 बिस्वा, 236मिन, खसरा नम्बर 1918 रकबा 0.24 साविक खसरा नम्बर 235मिन 236 मिन से बने है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 में साविक खसरा नम्बर 235मिन रकबा 3 वीघा 5 बिस्वा का रकबा शामिल हुआ है। 236 मिन का कोई रकबा खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 में शामिल नहीं हुआ है। प्रदर्श–3, पर हाल खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 की आकृति प्रदर्श–4 पर नक्शा किश्तवार साविक खसरा नम्बर 235 मिन से पूरी तरह मिलान खाती है। प्रदर्श–5 पर जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2024 में साविक खसरा नम्बर 235 रामस्वरूप पुत्र ग्यासिंह व वग्गा व गिर्राज पिस0 रामलाल समभाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है। साविक खसरा नम्बर 236 मिन रकबा 1 वीघा 17 विस्वा, 237मिन से हाल खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.30 निर्मित हुआ है। जिसमें केवल साविक खसरा नम्बर 236मिन का रकवा 1वीघा 17 विस्वा शामिल हुआ है। नवीन पैमाईश से भी 1 वीघा 17 विस्वा का रकबा 29.6 हैक्टेयर होता है। साविक खसरा नम्बर 236 मिन व हाल खसरा नम्बर 1920 का रकबा भी समान है।

हाल खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.30 हैक्टेयर मुताविक जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 थान सिंह,मान सिंह पिस0 चिरंजी जाति जाट सा0 हि0 बरावर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका साविक खसरा नम्बर 236 रकवा 1 वीघा 17 विस्वा, प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी सम्बत 2028 से 2032 मान सिंह, थान सिंह पिस0 चिरंजी समभाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श–3 नक्शा, किश्तवार हाल खसरा नम्बर 1920 एवं प्रदर्श–4 साविक खसरा नम्बर 236 मिन की आकृति भी समान ही है।

इससे स्पष्ट है कि साविक खसरा नम्बर 236 मिन का कोई रकबा साविक खसरा नम्बर 235 के साथ शामिल नहीं हुआ है केवल साविक खसरा नम्बर 235 मिन रकबा 3 वीघा 5 विस्वा से ही हाल खसरा नम्बरान 1916,1917, 1918 निर्मित हुए है। मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 में साविक खसरा नम्बर 236 को शामिल कर भू–प्रबंध विभाग ने त्रुटि की है जिसे सही किया जाना उचित पाते है। प्रदर्श–1पर हाल जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 में मान सिंह,थान सिंह पिस0 चिरंजी समभाग की प्रबिष्टि न्यायोचित नहीं है क्योंकि साविक खसरा नम्बर 236मिन का कोई रकबा शामिल नहीं हुआ है, इसे कलमजन किया जाना उचित पाते है। क्योंकि साविक खसरा नम्बर 236मिन से निर्मित हाल खसरा नम्बर 1920 वर्तमान में थान सिंह,मान सिंह पिस0 चिरंजी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो साविक खसरा नम्बर 236 मिन से पूर्व राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–6 के अनुसार ही है।

प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2024 साविक खसरा नम्बर 235 रामस्वरूप,वग्गा व गिर्राज समभाग खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके अनुसार रामस्वरूप हि0 1/3 बग्गा हि0 1/3, गिर्राज हि0 1/3 बनता है। वादपत्र के अनुसार उक्त तीनों का सजरा निम्नांनुसार बनता है, साविक खसरा नम्बर 235 मिन के अनुसारः–

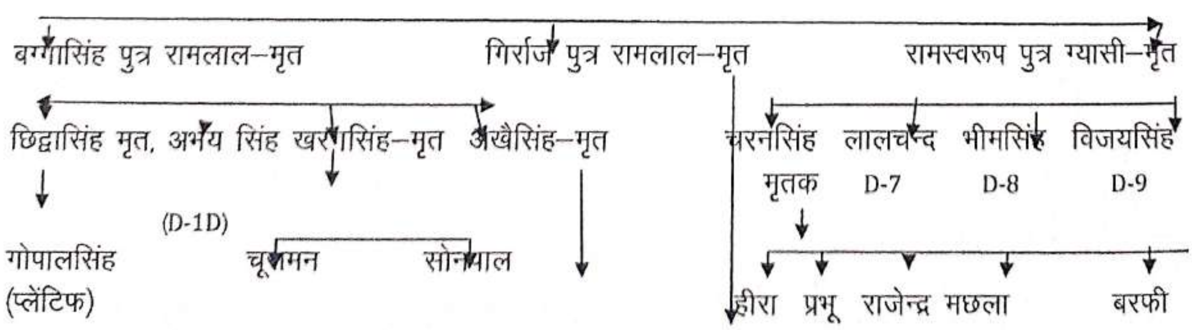

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

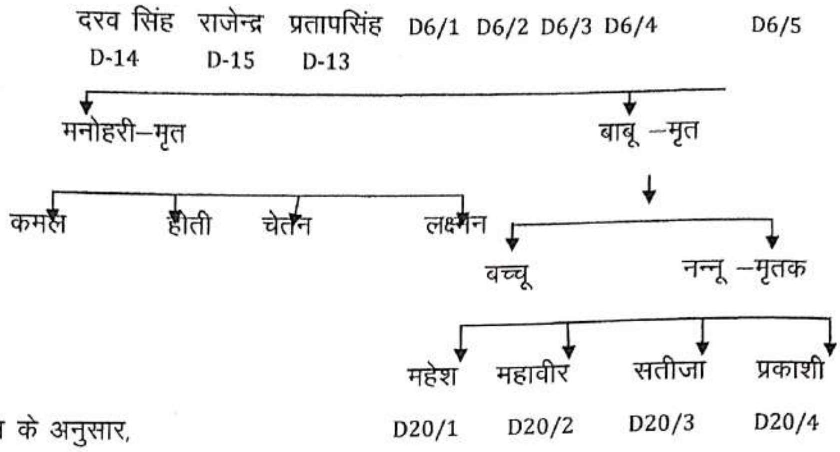

साविक खसरा नम्बर 235 मिन के अनुसार,

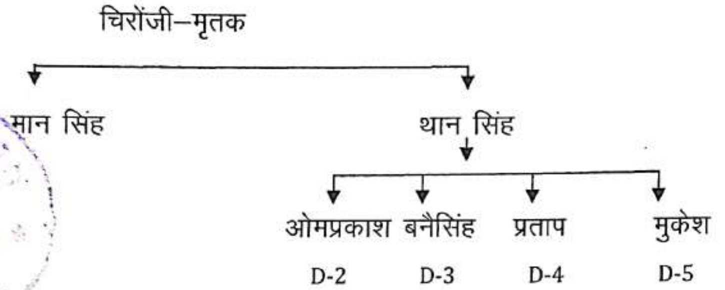

साविक खसरा नम्बर 235मिन से बने हाल खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 में मुताविक जमाबन्दी सम्बत 2065 से 2068 पर इन्द्राज चरन सिंह,लालचन्द,भीम सिंह,विजय पिस0 रामस्वरूप हि0 बरावर की प्रबिष्टियॉ साविक खसरा नम्बर 235 मिन की जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2024 के अनुसार नहीं होने एवं मान सिंह,थान सिंह पिस0 चिरंजी समभाग की प्रबिष्टियों साविक खसरा नम्बर 236 मिन की होने तथा साविक खसरा नम्बर 236 मिन का रकबा वर्तमान खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 में शामिल नहीं होने के कारण कलमजन किया जाना उचित पाते है। उक्त इन्द्राज के स्थान पर वादपत्र की मद संख्या 11(अ) के अनुसार खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 वाके ग्राम जनूथर के हिस्सा 1/3 के हि0 1/4 का वादी तथा हि0 1/4 का तरतीवी प्रति0 संख्या 10 तथा हि0 1/4 का हि0 1/4 का तरतीवी प्रति0 संख्या 11 व 12 तथा हि0 1/4 के तरतीवी प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 वाहिस्सा बरावर तथा उक्त विवादित नम्बरान के हि0 1/3 के प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 व केवल 1/3 हिस्से के असल प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की दर्ज प्रबिष्टियों को वातिल एवं वेअसर किया जाकर कलमजन किया जाता है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया वादीगण प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 में वर्तमान खसरा नम्बरान 1916, 1917, 1918 की प्रबिष्टियॉ साविक खसरा नम्बर 235मिन के अनुसार नहीं होने के कारण कलमजन किया जाना निर्णीत किया जा चुका है। तनकी संख्या 1 के अनुसार वादीगण एवं प्रति0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना निर्णीत किया जा चुका है। प्रति0 1 लगायत 9 की प्रबिष्टियों को बातिल एवं वेअसर किया जाकर कलमजन किये जाने से वादी प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 2 विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

तनकी संख्याः—3, आया वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 का दावा दायरी से 12 साल के अन्दर विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा है। इसलिए दावा वादी प्रति0 कब्जे के सिद्वांत के आधार पर काबिले खारिजी है। इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रति0 पर है। प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया है। प्रति0 संख्या 2, 3, 5, 17 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रति0 संख्या 1 व 4 तथा 6 लगायत 9 के द्वारा जबाव दावा पेश किया गया। डीडब्ल्यू—1, लालचन्द की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया लेकिन बयान नहीं कराये गये। दिनांक 06.05.23 को साक्ष्य वादी बन्द की गई तथा दिनांक 21.10.2024 को प्रति0 संख्या 1 व 4 तथा 6 लगायत 9 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 26.11.2024 को एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा दिनांक 17.03.2025 को मजीद बहस सुनी गई। प्रति0 तनकी संख्या 3 को सिद्व करने में असफल रहे है। तनकी संख्या 3 भी विरूद्व प्रति0 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः—4, आया वादीगण व प्रति0 व अन्य के बीच दावा के पैरा नम्बर 14 के अनुसार तकसीम का दावा पेश हुआ था। उसमें राजीनामा हुआ था और इस नम्बर को दावा व राजीनामा में आराजी मुत0 को प्रति0 के नाम होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। इसलिए वादी अपने आचरण से बाधित है और यदि ऐसा है तो वाद पर क्या असर है? इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रति0 पर है। प्रति0 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर डीग के मु0 नम्बर 100/01,कमल बनाम चरन सिंह निर्णय दिनांक 20.04.2004 अन्तर्गत धारा 53—188 की फोटो प्रति पेश की है। उक्त निर्णय में वर्तमान वाद के खसरा नम्बर 1916, 1917, 1918 शामिल नहीं है। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है। तनकी संख्या 4 भी विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः—5, दादरसी?

प्रतिवादीगण ने असल प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा गलत एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने की गरज से पेश किया है। जिसके लिए असल प्रति0 को वादीगण से हर्जा खर्चा के 5000/—रू0 दिलवाये जावें। तनकी संख्या 1,2,3,4 विरूद्व प्रति0 निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 5, भी विरूद्व प्रति0 निर्णीत की जाती है। उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

तनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है। दावा वादीगण वादपत्र की मद संख्या 11(अ) व 11(ब) अनुसार निर्णीत किया जाता है।

उपर्युक्त बिवरण अनुसार दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1916/0.24, 1917/0.23, 1918/0.24, वाके ग्राम जनूथर तहसील डीग के हि0 1/3 के हि0 1/4 का वादी तथा हि0 1/4 का तरतीवी प्रति0 संख्या 10 तथा हि0 1/4 का तरतीवी प्रति0 संख्या 11 व 12 तथा हि0 1/4 के तरतीवी प्रति0 संख्या 13 लगायत 15 वाहिस्सा बरावर तथा उक्त विवादित नम्बरान के हि0 1/3 के तरतीवी प्रति0 संख्या 16 लगायत 21 व केवल 1/3 हि0 के असल प्रति0 संख्या 6 लगायत 9 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलस प्रति0 संख्या 01 लगायत 09 के नाम दर्ज इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वर्णित आराजीयात में मजाहमत मदाखलत नही करें। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner